



राजस्थान—सरकार
निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर
तृतीयतल, ब्लॉक 6, शिक्षा संकुल, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर
☎ : 0141-2704357 📠 : 0141-2704358 email : dir-sans-rj@nic.in

विज्ञप्ति

संस्कृत विद्वानों से आवेदन पत्र आमन्त्रित

निदेशालय, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर द्वारा वर्ष 2024-25 हेतु संस्कृत विद्वानों को आर्थिक सहायतार्थ आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जाते हैं। यह आर्थिक सहायता निम्नलिखित तीन प्रकार के वर्गों में विद्वानों को दी जावेगी:-

1. साहित्य सृजन के प्रयोजनार्थ
2. योग्यता पारितोषिक
3. जीवन निर्वाह भत्ता

उपरोक्त आर्थिक सहायता के नियम एवं मानदण्डों के अन्तर्गत आने वाले इच्छुक विद्वान निर्धारित आवेदन पत्र में योग्यता संबंधी विवरण एवं स्वलिखित सूचनाओं के साथ दिनांक 01 जनवरी 2025 तक निदेशक, संस्कृत शिक्षा विभाग, डॉ. एस. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल ब्लॉक नम्बर 6 द्वितीय तल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर को आवेदन कर सकते हैं। निर्धारित आवेदन पत्र नियम एवं मानदण्ड की प्रति निदेशालय संस्कृत शिक्षा एवं संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी कार्यालयों से निःशुल्क प्राप्त की जा सकती है।

(प्रियंका जोधावत)
आयुक्त
संस्कृत शिक्षा राजस्थान

सादर,
प्रकाशनार्थ
संपादक, दैनिक भास्कर

Signature Not Verified



Digitally signed by Priyanka Jodhawat
Designation : Commissioner
Date: 2024.11.12 17:17:16 IST
Reason: Approved



राजस्थान—सरकार
निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर
तृतीयतल, ब्लॉक 6, शिक्षा संकुल, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर
☎ : 0141-2704357 📠 : 0141-2704358 email : dir-sans-rj@nic.in

क्रमांक:—निसंशि / शैक्ष.-6 / पं.8 / 00100

दिनांक:

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय,
शासन सचिवालय, जयपुर।

विषय:— संस्कृत विद्वानों के आर्थिक सहायता आवेदन पत्र आमंत्रित करने हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित कराने बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि निदेशालय, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर द्वारा प्रतिवर्ष संस्कृत विद्वानों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता हेतु आमंत्रित किये जाने वाले आवेदन पत्रों के लिए संलग्न विज्ञप्ति सशुल्क दैनिक भास्कर समाचार पत्र के राजस्थान के समस्त संस्करणों में प्रकाशित करावें।

संलग्न:— उपरोक्तानुसार।

(प्रियंका जोधावत)
आयुक्त
संस्कृत शिक्षा राजस्थान

Signature Not Verified

Digitally signed by Priyanka Jodhawat
Designation : Commissioner
Date: 2024.11.12 17:17:16 IST
Reason: Approved



राजस्थान—सरकार
निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर
तृतीयतल, ब्लॉक 6, शिक्षा संकुल, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर

☎ : 0141-2704357 📠 : 0141-2704358 email : dir-sans-rj@nic.in

क्रमांक:—निसंशि / शैक्ष.—6 / पं.8 / 00100

दिनांक:

परिपत्र

निदेशालय संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर द्वारा वर्ष 2024-25 हेतु संस्कृत विद्वानों को आर्थिक सहायतार्थ आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। यह आर्थिक सहायता निम्नलिखित तीन प्रकार के वर्गों में विद्वानों को दी जावेगी:—

1. साहित्य सृजन के प्रयोजनार्थ
2. योग्यता पारितोषिक
3. जीवन निर्वाह भत्ता

उपरोक्त वर्गों की आर्थिक सहायता के नियम एवं आवेदन पत्र का प्रारूप संलग्न कर भिजवाया जा रहा है। उपरोक्त आर्थिक सहायता के नियम एवं मानदण्डों के अन्तर्गत आने वाले इच्छुक विद्वान निर्धारित आवेदन पत्र में योग्यता संबंधी विवरण एवं स्वलिखित सूचनाओं के साथ दिनांक 01 जनवरी 2025 तक निदेशक, संस्कृत शिक्षा विभाग, डॉ. एस. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल ब्लॉक नम्बर 6 द्वितीय तल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर को आवेदन कर सकते हैं। निर्धारित आवेदन पत्र नियम एवं मानदण्ड की प्रति निदेशालय संस्कृत शिक्षा एवं संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी कार्यालयों से निःशुल्क प्राप्त की जा सकती है।

(प्रियंका जोधावत)

आयुक्त

संस्कृत शिक्षा राजस्थान

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


1. निजी सचिव, शासन सचिव, संस्कृत शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. कुलपति, जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत महाविद्यालय, मदाऊ, जयपुर।
3. समस्त प्राचार्य, राजकीय/अराजकीय आचार्य/शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय, राजस्थान।
4. प्रदेश में संचालित समस्त विश्वविद्यालयों के संस्कृत विभागाध्यक्ष।
5. समस्त संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी, राजस्थान।
6. वेबसाइट प्रभारी, निदेशालय संस्कृत शिक्षा, जयपुर।
7. संरक्षण पंजिका।

आयुक्त


संस्कृत शिक्षा राजस्थान

Signature Not Verified

Digitally signed by Priyanka Jodhawat
Designation : Commissioner
Date: 2024.11.12 17:17:16 IST
Reason: Approved



राजस्थान सरकार
निदेशालय, संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर
संस्कृत विद्वानों को आर्थिक सहायता/पुरस्कार



(अ) योग्यता पुरस्कार

आवेदन-पत्र
(ब) साहित्य सर्जन

(स) जीवन निर्वाह

1. आवेदक का नाम व पता

.....
.....
दूरभाष संख्या: (कार्या.) निवास

2. स्थाई निवास स्थान

.....
.....
दूरभाष संख्या: (कार्या.) निवास

3. जन्म तिथि, आयु

(जन्मतिथि के लिए उपयुक्त प्रमाणपत्र की छायाप्रति संलग्न करें)

4. शैक्षणिक योग्यताओं एवं संस्कृत में विशेष योग्यताओं का विवरण (प्रमाणपत्र संलग्न करें)

5. (अ) व्यवसाय

(ब) आर्थिक स्थिति (वार्षिक आय)

6. आर्थिक सहायता किस प्रकार की चाही गई है? (श्रेणी "अ" "ब" "स" में से एक का स्पष्ट उल्लेख करें)

7. प्रकाशित मौलिक रचनाओं का विवरण:

("अ" योजना हेतु प्रकाशित रचना की प्रति संलग्न करें।)

8. संस्कृत के क्षेत्र में किया गया अन्वेषण कार्य/नियमों में उल्लेखित अन्य कार्य जो किया गया हो, विवरण संलग्न करें। ("ब" योजना हेतु अन्वेषण कार्य की तीन प्रमाणित प्रतियां संलग्न करें।)

9. सरकार/विश्वविद्यालय/प्रसिद्ध साहित्यिक संस्था/समाज से प्राप्त की गई मान्यता एवं गौरव का विवरण (प्राप्त प्रमाणपत्रों की प्रतियां संलग्न करें)

10. दो उत्तरदायी व्यक्तियों के नाम

व पूर्ण पता
(जो प्रार्थी से परिचित हो)

.....
.....
दूरभाष: (कार्या.) निवास

.....
.....
दूरभाष: (कार्या.) निवास

11. अन्य सम्बन्धित सूचना:-

.....
.....
.....

टिप्पणी- "अ" "ब" "स" योजना के संदर्भ में आवेदक अपनी मौलिक रचना/अन्वेषण कार्य संबंधी शपथ-पत्र प्रस्तुत करें।

हस्ताक्षर आवेदक

निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर
राजस्थान सरकार द्वारा संस्कृत विद्वानों की आर्थिक सहायता देने संबंधी नियम

इस योजना के अन्तर्गत राजस्थान सरकार द्वारा संस्कृत विद्वानों को निदेशालय संस्कृत शिक्षा के माध्यम से निम्नलिखित तीन संवर्गों में आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी :-

- (अ) योग्यता पुरस्कार
- (ब) साहित्य सर्जन
- (स) जीवन निर्वाह

इस योजना मद्र में उपलब्ध राशि बिन्दु "अ" को 30 प्रतिशत, "ब" को 30 प्रतिशत, "स" को 40 प्रतिशत के अनुपात से देय होगी।

पात्रता नियम:-

1. यह आर्थिक सहायता निदेशक, संस्कृत शिक्षा के माध्यम से प्रत्येक वर्ष में देय होगी।
2. उपर्युक्त योजनाओं के संबंध में आयु सीमा का कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।
3. इन योजनाओं हेतु निदेशालय, संस्कृत शिक्षा को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन निर्धारित तिथि तक प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।
4. उक्त (अ), (ब), (स) योजनाओं में से एक विद्वान एक समय में एक ही योजना के अन्तर्गत (योग्यता पुरस्कार/साहित्य, सर्जन/जीवन निर्वाह हेतु) आर्थिक सहायता के लिए निर्धारित प्रपत्र में आवेदन कर सकेंगे।
5. इस योजना के अन्तर्गत राज्य के मूल निवासी ही आर्थिक सहायता प्राप्ति के पात्र माने जायेंगे।

(अ) योग्यता पुरस्कार:-

1. यह पुरस्कार संस्कृत के अधिकतम तीन विद्वानों को प्रदान किया जायेगा, जिन्होंने विगत पांच वर्षों में उच्च स्तर के मौलिक संस्कृत ग्रन्थ की रचना से संस्कृत साहित्य की समृद्धि की हो।
2. ऐसा विद्वान जिसने अपनी मौलिक रचना के आधार पर एक बार इस पुरस्कार को प्राप्त कर लिया है, वह दूसरी बार उसी रचना पर पुरस्कार प्राप्ति के लिए पात्र नहीं माना जायेगा। यदि पूर्व रचना से भिन्न अन्य मौलिक रचना प्रस्तुत करता है तो यह रचना पुरस्कार के लिए मान्य होगी।
3. मौलिक रचना के सन्दर्भ में विद्वान को स्वयं की मौलिक रचना संबंधी आशय का शपथ-पत्र 10/- (दस रुपये) मूल्य के नॉन-ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत करना होगा।
4. यह योग्यता पुरस्कार, विद्वानों की आर्थिक स्थिति की ओर ध्यान देने बिना दिया जावेगा।

(ब) साहित्य सर्जन प्रयोनार्थः-

1. यह सहायता अधिकतम उन तीन संस्कृत विद्वानों की दी जा सकेगी जो कम से कम 5 वर्ष से मान्यता प्राप्त अनुसन्धान का कार्य कर रहे हैं, और भविष्य में भी इस कार्य को जारी रखेंगे।
2. यह सहायता ऐसे संस्कृत विद्वानों को दी जायेगी जो संस्कृत के साहित्यिक या अनुसन्धान विधा या निदेशालय, संस्कृत शिक्षा द्वारा प्रवर्तित निम्नांकित में से किसी एक बिन्दु पर मौलिक कार्य में लगे हुए हैं।
 1. वेदों में विज्ञान
 2. राष्ट्रीय उत्थान में संस्कृत का योगदान
 3. समाजवादी समाज की रचना के लिए संस्कृत का संदेश
 4. परिवार नियोजन और संस्कृत
 5. सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक पृष्ठ भूमि में संस्कृत
 6. वैज्ञानिक युग में संस्कृत की उपादेयता
 7. आधुनिक युग में संस्कृत की व्यावहारिक उपयोगिता
 8. भारतीय कृषि और संस्कृत
 9. परिवर्तित युग परिवेश में संस्कृत के दायित्व
 10. संस्कृत काव्यकार- वर्तमान सदी के
 11. राजस्थान और संस्कृत शिक्षा
 12. संस्कृत साहित्य के अभिनव सर्जन में राजस्थान का योगदान
 13. संस्कृत शिक्षण विधि में नये प्रयोग
 14. संस्कृत व्याकरण का सरलीकरण
 15. संस्कृत के प्रति छात्र/छात्राओं की अभिवृद्धि
3. इस सहायता के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने वाला विद्वान यदि इसी अनुसन्धा कार्य के लिए किसी अन्य संस्थान या व्यक्ति से आर्थिक सहायता प्राप्त कर रहा तो वह इस सहायता हेतु पात्र नहीं माना जायेगा।
4. सहायता मासिक आधार पर निर्धारित दर से देय होगी जो उस विद्वान को प्रत्ये वार्षिक अनुसंधान कार्य के मूल्यांकन के आधार पर दी जायेगी। यह सहायता रा दो वर्ष के लिए प्रभावशील रहेगी। विद्वान के अनुसंधान कार्य की प्रगतिशी उपयुक्तता को दृष्टिगत रखते हुए तीसरे वित्तीय वर्ष के लिए भी सहायता स्वीकृ अभिवृद्धि की जा सकेगी। यह सहायता अधिकतम तीन वर्षों तक ही देय होगी।
5. इस योजना के संदर्भ में किये गये अनुसंधान कार्य की तीन प्रमाणित प्रति निदेशक, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान को आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत करनी ह तथा उसके प्रकाशन से पूर्व निदेशक, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान को सूचित क होगा।
6. इस आर्थिक सहायता हेतु किसी भी प्रकार की उपाधि के लिए प्रस्तुत लघु प्रबन्ध अथवा शोध उपाधि हेतु किये गये शोध कार्य को स्वीकार नहीं किया जाये
7. चयन समिति द्वारा अनुसंधान कार्य उपयुक्त स्तर का नहीं पाये जाने पर आ सहायता देय नहीं होगी।

3. अनुसंधान कार्य की मौलिकता के संबंध में विद्वान को 10/- रुपये के के नॉन-ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर शपथ-पत्र देना होगा।

(स) जीवन निर्वाह प्रयोजनार्थ:-

1. यह आर्थिक सहायता एक वर्ष में अधिकतम तीन ऐसे प्रतिष्ठित संस्कृत विद्वानों को दी जायेगी, जिन्होंने संस्कृत के क्षेत्र में उल्लेखनीय महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया हो, तथा जो वर्तमान में आर्थिक दृष्टि से अभाव ग्रस्त जीवन-यापन कर रहे हो।
2. यह जीवन निर्वाह आर्थिक सहायता एक विद्वान को एक बार स्वीकृति होने पर प्रथमतः तीन वर्षों के लिए दी जायेगी, परन्तु इसके लिए उसे प्रतिवर्ष आवेदन-पत्र प्रस्तुत करना होगा। इससे अधिक वर्षों के लिए संस्कृत विद्वान को सहायता की अवधि वृद्धि उसकी आर्थिक स्थिति की समीक्षा के आधार पर की जा सकेगी।
3. यह आर्थिक सहायता किसी भी शासकीय या अशासकीय सेवा योजना में कार्यरत संस्कृत विद्वान को दये नहीं होगी।
4. जिन संस्कृत विद्वानों की सकल वार्षिक आय 15,000/- रुपये से अधिक नहीं है, वे ही इस सहायता के लिए पात्र माने जायेंगे।
5. इस योजना में आर्थिक सहायता के लिए पात्र विद्वान को आवेदन करने के उपरान्त मृत्यु हो जाने पर मृत्यु तिथि तक ही आर्थिक सहायता देय होगी। ऐसी स्थिति में उक्त सहायता का भुगतान विद्वान के आश्रित उत्तरजीवी को प्रमाण-पत्र के आधार पर किया जायेगा।
6. इस योजना में आर्थिक सहायता प्राप्ति हेतु आवेदनकर्ता को सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
7. विद्वान को यह सहायता सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त जीवित होने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही देय होगी।
8. यह सूचना आवश्यक रूप से लगाये।
 - बैंक का नाम जिसमें खाता है
 - बैंक शाखा/जहां स्थित है
 - आई,एफ,एस.सी. कोड उस शाखा का
 - खाता संख्या
 - पैन नं.
 - मोबाईल नं.

इन योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनपत्रों पर विचार कर निर्णय करने हेतु राज्य सरकार द्वारा गठित समिति सक्षम होगी। इस समिति का गठन अधोलिखितानुसार किया जायेगा। :-

1. निदेशक
 - संस्कृत शिक्षा (पदेन)
2. निदेशक
 - भाषा विभाग (पदेन)
3. वरिष्ठ प्रोफेसर
 - जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर (कुलपति द्वारा नामित)